रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275941
CG-DL-E-02092026-275941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948**
No. 522]	**NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948**

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता

सं. टी-30/5/2020-तकनीकी-भाग(2).— भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में प्रकाशित भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या टी-23/3/2020-तकनीकी- भाग(1), दिनांक 14 जून, 2024 के अधिक्रमण में, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए हैं या किए जाने से रह गए हैं, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा गया है) इसके द्वारा प्रतिभूति जमा की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

1. भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ किसी भांडागार के पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदक भांडागार या भांडागार सेवा प्रदाता से कोई निश्चित प्रतिभूति जमा अपेक्षित नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (ई-एन डब्ल्यू आर) जारी करने से संबंधित कारोबार करने का इच्छुक पंजीकृत भांडागारपाल, ऐसे कारोबार के प्रारंभ से पहले, इस अधिसूचना के पैरा 3 में निर्धारित दरों के अनुसार अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा (अग्रिम डीएसडी) प्रस्तुत करेगा और उसके बाद भी इसे बनाए रखेगा।

2. जहां भांडागार अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वहां प्राधिकरण, बीमा संबंधी आवश्यकता पूरी किए जाने की शर्त पर, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के तुरंत बाद आवेदक के भांडागार के संबंध में आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

3. आवेदक या भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि और उसका तरीका निम्नलिखित होगा:—

(i) इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (ई-एन डब्ल्यू आर) जारी करने से संबंधित कारोबार करने का इच्छुक भांडागारपाल, ऐसे कारोबार के प्रारंभ से पहले, प्राधिकरण को अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा। अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा सामान्य रूप से आगामी माह की डीएसडी में समायोजित की जाएगी।

(क) जहां भांडागारपाल इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (ई-एन डब्ल्यू आर) जारी करना चाहता है, वहां प्रति भांडागार न्यूनतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा अथवा भांडागारपाल द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एन डब्ल्यू आर) के मूल्य के अनुरूप राशि बनाए रखी जाएगी।

(ख) जहां आवेदक या भांडागारपाल किसान उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या स्वयं सहायता समूह है और इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (ई-एन डब्ल्यू आर) जारी करने का इच्छुक है, वहां अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा प्रति भांडागार पचास हजार रुपये होगी।

(ग) गतिशील प्रतिभूति जमा, पिछले माह के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों में बकाया परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य का एक प्रतिशत है, जिसे नीचे दी गई तालिका में टी* के रूप में संदर्भित किया गया है। कॉलम (3) में पिछले स्लैब के लिए अपेक्षित गतिशील प्रतिभूति जमा है, जबकि कॉलम (4) में संबंधित स्लैब में गतिशील प्रतिभूति जमा के लिए अपेक्षित प्रतिभूति जमा है। अग्रिम प्रतिभूति जमा (कॉलम 5) तथा गतिशील प्रतिभूति जमा (कॉलम (3) और (4)) का संचयी मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पास बनाए रखा जाएगा:

क्रम सं.	स्लैब	गतिशील प्रतिभूति जमा		अग्रिम डीएसडी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टी ₹25 करोड़ से कम या बराबर है	0	टी का 1%	प्रति भांडागार न्यूनतम ₹1 लाख या माह में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित ई-एन डब्ल्यू आर के मूल्य के अनुरूप राशि।
2	टी ₹25 करोड़ से अधिक और ₹250 करोड़ तक है	₹25 लाख	टी का 0.75%	
3	टी ₹250 करोड़ से अधिक और ₹2,500 करोड़ तक है	₹1.937 करोड़	टी का 0.50%	
4	टी ₹2,500 करोड़ से अधिक है	₹13.187 करोड़	टी का 0.25%	

टिप्पणी: *जहां आवेदक या भांडागारपाल किसान उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या स्वयं सहायता समूह है, वहां इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एन डब्ल्यू आर) को जारी करने के लिए अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा के रूप में कुल प्रतिभूति जमा प्रति भांडागार पचास हजार रुपये (कुल) होगी।*

(घ) उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट गतिशील प्रतिभूति जमा केवल भांडागारपाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एन डब्ल्यू आर) को जारी करना प्रारंभ करने के बाद लागू होगी और उसके बाद इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार पिछले माह के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों में बकाया इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा को प्राधिकरण के विवेकानुसार खंड (ग) के अनुसार निर्धारित गतिशील प्रतिभूति जमा की आवश्यकता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(च) ऐसा पंजीकृत भांडागार जो इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एन डब्ल्यू आर) जारी करने से संबंधित कारोबार करने का इच्छुक नहीं है, उसे प्राधिकरण के पास कोई प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(i) अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एन डब्ल्यू आर) के जारी करने की अवधि के दौरान तथा उसके बाद छह माह की अवधि तक बनाए रखी जाएगी, जबकि गतिशील प्रतिभूति जमा प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन करके प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी विधिवत पावती दी जाएगी, और गतिशील प्रतिभूति जमा की वैधता न्यूनतम छह माह की अवधि के लिए रखी जा सकती है ताकि इस अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की आवश्यकता में होने वाले किसी भी परिवर्तन का ध्यान रखा जा सके।

(ii) प्राधिकरण, भांडागारपाल द्वारा पहले से प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक प्रतिभूति जमा की राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, जिसमें अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा को गतिशील प्रतिभूति जमा की आवश्यकताओं के विरुद्ध समायोजित करना भी शामिल है।

(iii) प्रतिभूति जमा बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी/ई-बैंक गारंटी (**प्रथम अनुसूची** में दिए गए प्रारूप के अनुसार), या जमानती बीमा पॉलिसियों अथवा अनुबंधों या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी अन्य लिखत के रूप में, जो भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में हो, दी जाएगी।

(iv) प्राधिकरण संसद या किसी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी संस्था को प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है (**द्वितीय अनुसूची** में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।

(v) जहां आवेदक या भांडागारपाल प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति है, वहां प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है (**तृतीय अनुसूची** में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।

(vi) प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त संस्था, पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ, ऐसा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने वाले अपने निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत करेगी।

(vii) प्रतिभूति जमा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी।

(viii) प्राधिकरण किसी भांडागार के संबंध में प्रतिभूति जमा वापस करेगा, यदि—

(क) भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है; या

(ख) भांडागारपाल अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार करता है; या

(ग) किसी भांडागार का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है।

(ix) उप-पैरा (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा में ऐसे किसी संशोधन के बावजूद, भांडागारपाल उन्हें जारी किए गए परक्राम्य भांडागार रसीदों की वैधता अवधि के दौरान जमाकर्ताओं द्वारा देय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा।

4. दिनांक 14 जून, 2024 की अधिसूचना तथा उसके दिनांक 1 जुलाई, 2025 के संशोधन की प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में, जहां-जहां 'प्रतिभूति जमा' शब्द आते हैं और जहां तक वे ई-एन डब्ल्यू आर कारोबार करने वाले भांडागारों से संबंधित हैं, वहां "अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. इस अधिसूचना के प्रावधान केवल इसके प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद किए गए भांडागारों के पंजीकरण के आवेदनों पर लागू होंगे। ऐसे प्रारंभ से पहले पंजीकृत भांडागार तथा उस तारीख को लंबित पंजीकरण के आवेदन, जिनमें प्रतिभूति जमा पहले ही प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा चुकी है, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उन पर लागू प्रतिभूति जमा संबंधी प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे और केवल इस अधिसूचना के लागू होने के कारण ऐसी आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

गौरव सिंह ठाकुर. निदेशक (तकनीकी)

[विज्ञापन-III/4/असा./291/2026-27]

प्रथम अनुसूची

(भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा के भुगतान हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

निदेशक (प्रशासन और वित्त)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
एनएसयूआई बिल्डिंग (चतुर्थ तल),
3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली – 110016
(लागू होने वाले उचित स्टाम्प शुल्क सहित)

हमारे गारंटी पत्र की संख्या:-

1. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसका कार्यालय एनएसयूआई बिल्डिंग (चतुर्थ तल), 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली–110016 (भारत) में स्थित है (जिसे आगे डब्ल्यूडीआरए कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक सम्मिलित होंगे) तथा मेसर्स __________ के स्वामित्व वाले निम्नलिखित भांडागार/भांडागारों, अर्थात् _________________ अथवा इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची (बैंक द्वारा विधिवत पृष्ठांकित) के अनुसार, के पंजीकरण को प्रदान करने या प्रदान किए जाने पर विचार करते हुए (जिसे आगे 'भांडागारपाल' कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक सम्मिलित होंगे)।

2. चूंकि भांडागारपाल ने भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 (जिसे आगे 'उक्त नियम' कहा गया है) में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार भांडागारण कारोबार करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी है और डब्ल्यूडीआरए को **₹.........** (केवल रुपये……………………) की बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुआ है, जो डब्ल्यूडीआरए के साथ संपूर्ण पंजीकरण के समुचित निष्पादन के लिए है, अतः हम…… (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है), भांडागारपाल के अनुरोध पर, किसी भी ऐसे नुकसान या क्षति के विरुद्ध डब्ल्यूडीआरए को **₹**……… से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, जो परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक को भांडागारपाल द्वारा उक्त नियमों और दिनांक .... की 'डब्ल्यूडीआरए के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता' संबंधी अधिसूचना संख्या…………………….. में निहित किसी भी निबंधन और शर्त के उल्लंघन के कारण हुई हो या उसे सहनी पड़ी हो (जिसे आगे 'अधिसूचना' कहा गया है)।

3. हम ……………………… (बैंक का नाम) इसके द्वारा इस गारंटी के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य राशि का बिना किसी आपत्ति के, केवल डब्ल्यूडीआरए की ऐसी मांग पर भुगतान करने का वचन देते हैं, जिसमें कहा गया हो कि मांगी गई राशि परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक को भांडागारपाल द्वारा नियमों और अधिसूचना में निहित किसी निबंधन या शर्त के उल्लंघन के कारण हुई या उसे सहनी पड़ी हानि या क्षति के कारण देय है। बैंक पर की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ₹...................... से अधिक की राशि तक सीमित होगी।

4. हम भांडागारपाल द्वारा इस संबंध में किसी वाद या कार्यवाही में किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष उठाए गए किसी विवाद या विवादों के बावजूद डब्ल्यूडीआरए को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि भुगतान करने का वचन देते हैं, और इस संबंध में हमारी वर्तमान देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया ऐसा भुगतान उसके अंतर्गत भुगतान के लिए हमारी देयता का वैध निर्वहन होगा और ऐसे भुगतान के लिए भांडागारपाल का हम पर कोई दावा नहीं होगा।

5. हम.. (बैंक का नाम) आगे सहमत हैं कि डब्ल्यूडीआरए को हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारे दायित्वों को किसी भी प्रकार प्रभावित किए बिना, उक्त करार के किसी भी निबंधन और शर्त को बदलने या भांडागारपाल के कार्य-निष्पादन का समय समय-समय पर बढ़ाने या डब्ल्यूडीआरए द्वारा भांडागारपाल के विरुद्ध प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शक्ति के प्रयोग को किसी समय या समय-समय पर स्थगित करने तथा उक्त करार से संबंधित किसी निबंधन और शर्त को लागू न करने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और ऐसे किसी परिवर्तन या भांडागारपाल को दिए गए समय-विस्तार अथवा डब्ल्यूडीआरए की ओर से किसी सहनशीलता, कार्य या चूक अथवा डब्ल्यूडीआरए द्वारा भांडागारपाल को दी गई किसी रियायत अथवा ऐसी किसी भी बात या मामले के कारण, जो जमानतदारों से संबंधित विधि के अधीन इस प्रावधान के अभाव में हमें इस प्रकार दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव रखता, हम उक्त करार से संबंधित निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे।

6. बैंक या भांडागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण यह गारंटी समाप्त नहीं होगी।

7. हम, ... (बैंक का नाम), अंततः यह वचन देते हैं कि डब्ल्यूडीआरए की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसकी वैधता अवधि के दौरान इस गारंटी को निरस्त नहीं करेंगे।

8. इसमें निहित किसी बात के बावजूद:—

(i) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता .... (केवल रुपये) से अधिक नहीं होगी;

(ii) यह बैंक गारंटी .... तक वैध होगी; और

(iii) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटीकृत राशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए हम तभी और केवल तभी उत्तरदायी होंगे जब डब्ल्यूडीआरए हमें गारंटी की समाप्ति की तारीख (............................) को या उससे पहले लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करे।

दिनांक.............................. 20 के .... दिन

अधिकृत हस्ताक्षरी या प्रबंधक का नाम

(बैंक का नाम) के लिए, बैंक की शाखा की मुहर

द्वितीय अनुसूची

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र दिनांक ……………...202 को …………….. (संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था), जिसे आगे 'संस्था' कहा गया है, द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा गया है, चूंकि:

(क) प्राधिकरण की स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 2007) के अंतर्गत भांडागारों के विकास, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता के विनियमन और भंडारण कारोबार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित और कार्यान्वित करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने वाले भांडागार के रखरखाव का कारोबार शुरू करना या करना चाहता है, उसका पंजीकरण होना आवश्यक है और इसके लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को आवेदन किया जाना आवश्यक है।

(ख) प्रत्येक आवेदक भांडागार या भांडागार सेवा प्रदाता जो अपने भांडागार के पंजीकरण की मांग करता है, उसे प्राधिकरण द्वारा किए गए संप्रेषण के इक्कीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ग) भांडागारपाल द्वारा जमा की जाने वाली और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने वाली तथा प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन की जाने वाली प्रतिभूति जमा का मूल्य (बैंक गारंटी या जमानती बीमा पॉलिसियों अथवा अनुबंधों अथवा प्राधिकरण द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में निर्धारित किसी अन्य लिखत के रूप में), जैसा कि इस अधिसूचना की तालिका II में दिया गया है, निम्नलिखित है:—

क्रम सं.	स्लैब	गतिशील प्रतिभूति जमा		अग्रिम डीएसडी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टी ₹25 करोड़ से कम या बराबर है	0	टी का 1%	प्रति भांडागार न्यूनतम ₹1 लाख या माह में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित ई-एन डब्ल्यू आर के मूल्य के अनुरूप राशि।
2	टी ₹25 करोड़ से अधिक और ₹250 करोड़ तक है	₹25 लाख	टी का 0.75%	
3	टी ₹250 करोड़ से अधिक और ₹2,500 करोड़ तक है	₹1.937 करोड़	टी का 0.50%	
4	टी ₹2,500 करोड़ से अधिक है	₹13.187 करोड़	टी का 0.25%	

टिप्पणी: *उपरोक्त तालिका में 'टी' का तात्पर्य पिछले माह के दौरान भांडागारपाल द्वारा पंजीकृत सभी भांडागारों में बकाया परक्राम्य भांडागार रसीदों के कुल मूल्य में से उच्चतम मूल्य से है।*

(घ) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भांडागारपाल द्वारा पहले से प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को आवश्यक प्रतिभूति जमा की राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। भांडागार के पंजीकरण के रद्द होने, अस्वीकृत होने या अभ्यर्पित किए जाने के छह माह बाद तक या प्रतिभूति जमा के विरुद्ध प्रत्येक दावे के निपटान तक, इनमें से जो भी बाद में हो, प्रतिभूति जमा जारी नहीं की जाएगी। प्राधिकरण प्रतिभूति जमा की राशि में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ङ) प्राधिकरण संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित तथा भांडागारों के रखरखाव और परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने का कारोबार करने वाली किसी संस्था को प्रतिभूति जमा के स्थान पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त संस्था, पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ, ऐसा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने वाले अपने निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत करेगी।

अतः अब ……………… (संस्था का नाम), जो ……………. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है, इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र में नीचे उल्लिखित शर्तों के अनुसार, ऊपर पैरा (ग) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाने वाली सीमा तक, ₹……….. (केवल रुपये) की राशि के लिए प्राधिकरण को सभी प्रकार की कार्रवाइयों, वादों, कार्यवाहियों, लेखों, दावों और मांगों से सुरक्षित रखने, उनका बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करते रहने के लिए हर समय सहमत और वचनबद्ध है:—

1. मेसर्स……………….. (संस्था का नाम) प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपनी ओर से किए जाने वाले सभी दायित्वों का अनुपालन करेगा।

2. मेसर्स...................... (संस्था का नाम) ऊपर पैरा (ग) में उल्लिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि के लिए, पंजीकरण रद्द होने, अस्वीकृत होने या अभ्यर्पित किए जाने के छह माह बाद तक या प्रत्येक दावे के निपटान तक, इनमें से जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति प्रदान करते रहने का वचन देता है।

3. मेसर्स...................... (संस्था का नाम) किसी भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अंतर्गत अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, यदि:

(क) भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है;

(ख) भांडागारपाल अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार करता है; या

(ग) भांडागार का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है।

4. मेसर्स ………….. (संस्था का नाम) उन्हें जारी किए गए परक्राम्य भांडागार रसीदों की अवधि के दौरान जमाकर्ताओं द्वारा देय प्रभारों में वृद्धि न करने का वचन देता है।

5. मेसर्स……………... (संस्था का नाम) इसके द्वारा सहमत है कि यदि प्राधिकरण को कोई हानि या क्षति होती है (उपरोक्त पैरा (ग) की सीमा तक), तो उसकी क्षतिपूर्ति मेसर्स…………... (संस्था का नाम) द्वारा की जाएगी।

6. यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र ……….. (माह) 202…. के …….. दिन तक वैध रहेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र …….. दिन को निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया है।

……………….2026.

निष्पादक

नाम:

पदनाम:

संगठन:

(मुहर सहित)

गवाहों की उपस्थिति में:

(1)

(2)

द्वितीय अनुसूची की अनुबंधिका

क्षतिपूर्ति बंधपत्र में शामिल भांडागारों का विवरण

क्रम सं.	भांडागार का नाम और पता	मीट्रिक टन में क्षमता

निष्पादक

नाम:

पदनाम:

संगठन:

(मुहर सहित)

तृतीय अनुसूची

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र दिनांक .... 202 को .... सरकार द्वारा भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा गया है।

जबकि:

क. प्राधिकरण की स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 2007) के अंतर्गत भांडागारों के विकास, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता के विनियमन और भंडारण कारोबार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित और कार्यान्वित करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने वाले भांडागार के रखरखाव का कारोबार शुरू करना या करना चाहता है, उसका पंजीकरण होना आवश्यक है और इसके लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को आवेदन किया जाना आवश्यक है।

ख. प्रत्येक आवेदक भांडागार या भांडागार सेवा प्रदाता जो अपने भांडागार के पंजीकरण की मांग करता है, उसे प्राधिकरण द्वारा किए गए संप्रेषण के सात कार्य दिवसों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ग. प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों की ओर से .... सरकार द्वारा जमा की जाने वाली तथा पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने वाली प्रतिभूति जमा का मूल्य (बैंक गारंटी या जमानती बीमा पॉलिसियों अथवा अनुबंधों अथवा क्षतिपूर्ति बंधपत्र अथवा प्राधिकरण द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में निर्धारित किसी अन्य लिखत के रूप में) होगा। कुल प्रतिभूति जमा दोनों गतिशील तथा अग्रिम गतिशील प्रतिभूति जमा को सम्मिलित करते हुए प्रति भांडागार पचास हजार रुपये (कुल) होगी।

घ. प्राधिकरण अपने विवेकानुसार प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों के लिए पहले से प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को आवश्यक प्रतिभूति जमा की राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। भांडागार के पंजीकरण के रद्द होने, अस्वीकृत होने या अभ्यर्पित किए जाने के छह माह बाद तक या प्रतिभूति जमा के विरुद्ध प्रत्येक दावे के निपटान तक, इनमें से जो भी बाद में हो, प्रतिभूति जमा जारी नहीं की जाएगी। प्राधिकरण प्रतिभूति जमा की राशि में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ङ. प्राधिकरण प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों की ओर से .... सरकार को, जो भांडागारों के रखरखाव और परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने का कारोबार कर रही हैं, प्रतिभूति जमा के स्थान पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त संस्था अपने पंजीकरण आवेदन के साथ,

अतः अब .... सरकार, ऊपर पैरा (ग) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाने वाली सीमा तक ₹......... (केवल रुपये) की राशि के लिए, नीचे उल्लिखित इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की शर्तों के अनुसार, प्राधिकरण को सभी प्रकार की कार्रवाइयों, वादों, कार्यवाहियों, लेखों, दावों और मांगों से सुरक्षित रखने, उनका बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करते रहने के लिए हर समय सहमत और वचनबद्ध है:—

1. मैसर्स.. (संस्था/संस्थाओं का नाम) प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपनी ओर से किए जाने वाले सभी दायित्वों का अनुपालन करेंगे।

2. ………….. सरकार ऊपर पैरा (ग) में उल्लिखित राशि के लिए, पंजीकरण रद्द होने, अस्वीकृत होने या अभ्यर्पित किए जाने के छह माह बाद तक या प्रत्येक दावे के निपटान तक, इनमें से जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति प्रदान करते रहने का वचन देती है।

3. मैसर्स.. (संस्था/संस्थाओं का नाम) किसी भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अंतर्गत अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, यदि:

   क. भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है;

   ख. भांडागारपाल अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार करता है; या

   ग. भांडागार का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है।

4. मैसर्स ……………………………….. (संस्था/संस्थाओं का नाम) उन्हें जारी किए गए परक्राम्य भांडागार रसीदों की अवधि के दौरान जमाकर्ताओं द्वारा देय प्रभारों में वृद्धि न करने का वचन देता है।

5. ………….. सरकार इसके द्वारा सहमत है कि यदि प्राधिकरण को कोई हानि या क्षति होती है (उपरोक्त पैरा (ग) की सीमा तक), तो उसकी क्षतिपूर्ति ………….. सरकार द्वारा की जाएगी।

6. यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र ………….. (माह) 202……. के ……… दिन तक वैध रहेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र इस ……… दिन को निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया है।

……………….20…

निष्पादक

नाम:

पदनाम:

संगठन:

(मुहर सहित)

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2026

Requirement of Security Deposit for registration of warehouses with the Warehousing Development and Regulatory Authority

No. T-30/5/2020-Technical-Part(2).— In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 19 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, and in supersession of the notification of the Warehousing Development and Regulatory Authority number No. T-23/3/2020-Technical-Part(1) 14th June, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section-4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred to as the Authority) hereby notifies the following procedure for requirement of security deposit, namely:—

1. No Fixed Security deposit shall be required from an applicant warehouse or Warehouse Service Provider seeking registration of a warehouse with the Warehousing Development and Regulatory Authority for grant issue of a Registration Certificate under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 and the rules and regulations made thereunder. A registered warehouseman intending to undertake business involving issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) only shall before commencement of such business, require furnishing Advance Dynamic security deposit (advance DSD) as per the rates legislated under Para 3 of this notification and thereafter.

2. Where the warehouse fulfils all the requirements specified under the Act, rules and regulations made thereunder, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant in respect of the warehouse to the applicant immediately after the approval of inspection report in the form specified in the Fourth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 provided insurance requirement have been fulfilled.

3. Details of the amount and manner of security deposit to be furnished by the applicant or the warehouseman shall be in the following manner :-

(i) A warehouseman intending to undertake business involving issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) shall, prior to commencement of such business, furnish an Advance Dynamic Security Deposit to the Authority. The Advance Dynamic Security Deposit will be adjusted in the subsequent month's DSDs as usual.

(a) An Advance Dynamic Security Deposit of Minimum ₹1,00,000 (Rupees One Lakh) per warehouse, or an amount commensurate with the value of the electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) proposed to be generated by the WHM, shall be maintained by the warehouseman where the warehouseman intends to issue electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs).

(b) Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society or a Self Help Group and intends issuing electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs), the Advance Dynamic Security Deposit shall be fifty thousand rupees per warehouse.

(c) The dynamic security deposit is a percentage of the maximum value of negotiable warehouse receipts outstanding, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, referred as T* in the table below. Column (3) is the required dynamic security deposit in the previous slab whereas column (4) is security deposit required in the referred slab for the dynamic security deposit. The cumulative value of advance security deposit (column 5) and dynamic (column (3) and (4)) security deposit shall be maintained with Warehousing Development & Regulatory Authority as in the table below:

Sl. No.	Slab	Dynamic Security deposit		Advance DSD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	T is less than or equal to Rs. 25 crores	0	1 % of T	Minimum Rs. 1 lakh per warehouse or value commensurate to eNWR proposed to be generate in the month.
2	T is above Rs. 25 crores and up to Rs. 250 crore	Rs 25 Lakhs	0.75% of T	
3	T is above Rs. 250 crores and up to Rs. 2,500 crore	Rs. 1.937 Crores	0.50% of T	
4	T is above Rs.2,500 crore	Rs. 13.187 Crores	0.25% of T	

Note: *Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Societies or a Self Help Group, the total security deposit shall be fifty thousand rupees (total) per warehouse towards Advance Dynamic Security Deposit for issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs).*

(d) The Dynamic Security Deposit specified in table above shall become applicable only after commencement of issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) by the warehouseman and shall thereafter be determined based on the maximum value of electronic Negotiable Warehouse Receipts outstanding in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month in accordance with the provisions of this notification.

(e) The Advance Dynamic Security Deposit furnished under clauses (a) and (b) above may, at the discretion of the Authority, be adjusted against the Dynamic Security Deposit requirement determined in accordance with clause (c).

(f) A registered warehouse not intending to undertake business involving issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) shall not be required to furnish any security deposit to the Authority.

(i) The Advance Dynamic Security Deposit shall be maintained during the period of issuance of electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs) and for a period of six months thereafter, whereas the Dynamic Security Deposit shall be updated at the end of each month and submitted to the Authority, which shall be duly acknowledged and the validity of dynamic security deposit may be kept for a period of minimum six months so as to take care of any changes in the requirement of security deposit during this period.

(ii) The Authority may, adjust the security deposit already furnished by the warehouseman against the amount required to be furnished as security deposit including adjustment of Advance Dynamic Security Deposit against Dynamic Security Deposit requirements.

(iii) The security deposit shall be in the form of Bank Fixed Deposits or in the form of Bank Guarantee /e- Bank Guarantee (as per the format given in the **First Schedule**), or surety insurance policies or contracts or any other instrument decided by the Authority favouring Warehousing Development & Regulatory Authority.

(iv) The Authority may allow any entity created under an Act of Parliament or of a State Legislature to provide, an Indemnity Bond for the amount required as security deposit (as per format provided in the **Second Schedule**).

(v) Where the applicant or warehouseman is a Primary Agricultural Cooperative Credit Society, The Authority may allow to submit an Indemnity Bond for the amount required as security deposit (as per format provided in the **Third Schedule**) issued by the State Government.

(vi) An entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorising to furnish such Indemnity Bond.

(vii) The security deposit shall be released as per the guidelines issued by the Authority from time to time.

(viii) The Authority shall refund the security deposit in respect of a warehouse, if–

a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules; or
b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or
c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.

(ix) Notwithstanding such revision of the security deposit as specified in sub-paragraph (i) and (ii), if any, the warehouseman shall not increase the charges payable by the depositors within the period of validity of negotiable warehouse receipts issued to them.

4. In the First Schedule, Second Schedule and Third Schedule to the notification dated 14th June, 2024 and its amendment dated 1st July, 2025, for the words "security deposit", wherever they occur and in so far as they relate to warehouses undertaking eNWR business, the words "advance dynamic security deposit" shall be substituted.

5. The provisions of this notification shall apply only to applications for registration of warehouses made on or after the date of its commencement. Warehouses registered before such commencement and applications for registration, if any, pending on such date, where the security deposit has already been furnished to the Authority, shall continue to be governed by the provisions relating to security deposit applicable to them immediately before such commencement, and no alteration in such requirements shall arise merely by reason of the coming into force of this notification.

GAURAV SINGH THAKUR, Director(Tech.)

[ADVT.-III/4/Exty./291/2026-27]

FIRST SCHEDULE

(Format for bank guarantee for security deposit payment to be submitted by the Warehouseman)

Director (Administration and Finance)
Warehousing Development and Regulatory Authority
National Cooperative Union of India Building (4th Floor),
3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi – 110016
(With due stamp duty as applicable)

OUR LETTER OF GUARANTEE Number:-

1. In consideration of Warehousing Development and Regulatory Authority, having its office at National Cooperative Union of India Building (4th Floor), 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, Delhi– 110016 (INDIA) (hereinafter referred to as the WDRA which expression shall unless repugnant to the content or meaning thereof include all its successors, administrators and executors) and having considered granting or granted registration of the warehouse (s), namely, _________________or as per list annexed with this schedule (duly endorsed by the Bank) belonging to M/s____________(hereinafter referred to as "the Warehouseman" which expression unless repugnant to the content or meaning thereof, shall include all the successors, administrators, and executors).

2. WHEREAS, the Warehouseman having unequivocally accepted to conduct business of warehousing as per terms and conditions provided in the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred as the said rules) and having agreed to furnish to the WDRA a security deposit in the form of a Bank Guarantee for Rs......... (Rupees……………only) for the faithful performance of the entire registration with the WDRA, we….(hereinafter referred to as the Bank)at the request of the warehouseman do hereby undertake to pay to the WDRA an amount not exceeding Rs ……..……against any loss or damage caused to or suffered by the holder of the negotiable warehouse receipt due to breach by the warehouseman of any of the terms and conditions contained rules and the notification in the said number…………..dated the.. …on "Requirement of Security Deposit for registration of warehouses with the WDRA" (hereinafter referred as the notification).

3. We ………………………(Name of the Bank) do hereby undertake to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur merely on a demand from the WDRA stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by the holder of the negotiable warehouse receipt due to breach by the warehouseman of any of the terms and conditions contained in the rules and the notification. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs........................

4. We undertake to pay to the WDRA any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the warehouseman in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the warehouseman shall have no claim against us for making such payment.

5. We.. (Name of the Bank) further agree that the WDRA shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said agreement or to extend time of performance by the Warehouseman from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the WDRA against the warehouseman and to for bear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability under terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the Warehouseman or for any forbearance, act or omission on the part of the WDRA or any indulgence by the WDRA to the warehouseman or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Warehouseman.

7. We,.. (Name of the Bank) Lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the WDRA in writing.

8. Notwithstanding anything contained herein :-

i. our liability under this Bank Guarantee shall not exceed.................. (Rupees only)

ii. this Bank Guarantee shall be valid upto.. and

iii. we are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if the WDRA serve upon us a written claim or demand on or before........ .... (date of expiry of guarantee)

Dated the.............................. day of 20..

Name of Authorised Signatory or Manager

For (Name of the Bank) Branch Seal of the bank

SECOND SCHEDULE

INDEMNITY BOND

This indemnity is executed by deed on the day of ……………...202 by…..………… (an entity created under the Act of the Parliament or of the State Legislative) hereinafter called Entity in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority hereinafter called Authority WHEREAS:

a. The Authority is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of said Act for development of warehouses, regulations of negotiability of warehouse receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the said Act.

b. Every applicant warehouse or Warehouse Service Provider seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within twenty-one days of the communication by the Authority.

c. The value of security deposit (in the form of bank guarantee or surety insurance policies or contracts or any other instrument decided by the Authority in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by warehouseman and to be maintained during the period of registration and to be updated at the end of each month as provided in Table II of this notification is as follows: -

S. No.	Slab	Dynamic security deposit		Advance DSD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	T is less than or equal to Rs. 25 crores	0	1 % of T	Minimum Rs. 1 lakh per warehouse or value commensurate to eNWR proposed to
2	T is above Rs. 25 crores and up to Rs. 250 crore	Rs 25 Lakhs	0.75% of T	
3	T is above Rs. 250 crores and up to Rs.	Rs. 1.937 Crores	0.50% of T	

	2,500 crore			be generate in the month.
4	T is above Rs.2,500 crore	Rs. 13.187 Crores	0.25% of T	

Note*: Here "T" is referred in the above Table as highest value of total outstanding negotiable warehouse receipts in over the preceding month for all the warehouses registered by the warehouseman.*

d. The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished by warehouseman against the amount required as security deposit. The security deposit shall not be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.

c. As the Authority may allow any entity created under an Act of the Parliament or State Legislative and carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing Negotiable Warehouse Receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the Entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorising the furnishing of such Indemnity Bond.

NOW therefore M/s of ……………… (name the entity) established under ……………. Act, agrees and undertakes at all times to save, defend, and indemnify and keep indemnified the Authority from and against all actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands whatsoever for an amount of Rs……….. (rupee only) (as detailed at Annexure) to the extent of limits to be worked out as provided in paragraph (c) above and as per the conditions of this indemnity bond noted below: -

1. M/s……………….. (Name of the entity) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Authority's rules and regulations.
2. M/s........................ (Name of the entity) undertakes to keep the Authority indemnified for an amount to be worked out as per the Table mentioned in paragraph (c) above until six months, after cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.
3. M/s........................ (name of the entity) shall be discharged of its obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if:
   a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;
   b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender, or
   c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.
4. M/s. …………...(Name of the entity) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receipts issued to them.
5. M/s……………...(Name of the entity) hereby agrees that in case any losses or damages, if suffered by the Authority (to the extent of paragraph (c) above), the same shall be indemnified by M/s…………... (Name of the entity).
6. This Indemnity Bond shall have validity till……….. day of ……..(month) 202….

In witness whereof signed this Indemnity Bond is executed on this …………………………..day of

……………….202.

Executor

Name:

Designation:

Organisation:

(With Seal)

In the presence of witnesses:

(1)

(2)

Annexure to the Second Schedule

Details of warehouses included in the Indemnity Bond

S.No	Name and address of the warehouse	Capacity in metric ton

Executor
Name:
Designation:
Organisation:
(With Seal)

THIRD SCHEDULE

INDEMNITY BOND

This indemnity is executed by deed on the day of_____202 Government of …………in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) hereinafter called "AUTHORITY"

WHEREAS:

a. The Authority is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of said Act for development of warehouses, regulations of negotiability of warehouse receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the said Act.

b. Every applicant warehouse or Warehouse Service Provider seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within seven working days of the communication by the Authority.

c. The value of security deposit (in the form of bank guarantee or surety insurance policies or contracts or indemnity bond or any other instrument decided by the Authority in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by the Government of ………….. on behalf of the Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies and to be maintained during the period of registration. The total security deposit shall be fifty thousand rupees (total) per warehouse covering both the dynamic and Advance Dynamic security deposit

d. The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished for the Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies against the amount required as security deposit. The security deposit shall not

be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.

e. As the Authority may allow Government of ………….. on behalf of Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies which are carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing Negotiable Warehouse Receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the Entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration,

NOW therefore, the Government of ………….., agrees and undertakes at all times to save, defend, and indemnify and keep indemnified the Authority from and against all actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands whatsoever for an amount of Rs………(rupee only) (as detailed at Annexure) to the extent of limits to be worked out as provided in paragraph (c) above and as per the conditions of this indemnity bond noted below: -

1. M/s.. (Name of the entity/ies) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Authority's rules and regulations.

2. The Government of ………….. undertakes to keep the Authority indemnified for an amount stated in para c above until six months, after cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.

3. M/s.. (name of the entity/ies) shall be discharged of its obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if:

   a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;

   b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or

   c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.

4. M/s. ………………………………..(Name of the entity/ies) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receipts issued to them.

5. The Government of ………….. hereby agrees that in case any losses or damages, if suffered by the Authority (to the extent of paragraph (c) above), the same shall be indemnified by the Government of …………..

6. This Indemnity Bond shall have validity till__________day of

   _______(month)________202…….

In witness where of signed this Indemnity Bond is executed on this____________ day of

____2025 .

Executor

Name:
Designation:
Organisation:

(With Seal)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.09.02 19:32:51 +05'30'